

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक:- 406013
ग्रा0वि0-5/प्र0आ0यो0-(गृह स्थल)102-28/2017

पटना, दिनांक:- 11/01/19

प्रेषक,

अरविन्द कुमार चौधरी,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी उप विकास आयुक्त ।

विषय:- 'मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना' के कार्यान्वयन के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में आप अवगत हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत प्रतीक्षा सूची में शामिल वास स्थल भूमि विहीन परिवारों में से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग के वैसे परिवार जिन्हें सरकार से भूमि उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है, तथा जो अपने संसाधनों से वास भूमि क्रय नहीं कर सकते हैं, को वास भूमि क्रय करने हेतु सहायता प्रदान करने के लिए 'मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना' लागू की गई है । इसके अधीन पात्र लाभार्थियों को वास भूमि क्रय करने हेतु रुपये 60,000/- (साठ हजार) प्रति परिवार सहायता राशि उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है । इसके कार्यान्वयन हेतु निम्न प्रक्रिया अपनायी जाएगी ।

1. योजनान्तर्गत पात्र लाभुक की सूची का निर्माण करना :-

- (i) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत अंतिम रूप से निर्मित प्रतीक्षा सूची में शामिल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग के वास स्थल विहीन परिवारों की सूची तैयार की जायेगी ।
- (ii) सूची में शामिल परिवारों से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र प्राप्त किया जायेगा । लाभार्थियों द्वारा आवेदन पत्र सभी वांछित अनुलग्नकों सहित सीधे प्रखंड कार्यालय अथवा ग्रामीण आवास सहायक को दिया जायेगा, जिसकी पावती विधिवत आवेदक को उपलब्ध कराई जाएगी। आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न रहेंगे:-
 - (क) आवेदक के पास वास भूमि का स्वामित्व नहीं रहने संबंधी विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में शपथ-पत्र मूल रूप में ।
 - (ख) जाति प्रमाण-पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति ।
 - (ग) आधार कार्ड की प्रति इस सहमति (concurrency) के साथ कि आधार की सूचनाओं का उपयोग इस योजना के अधीन किया जा सकेगा ।
 - (घ) आधार Seeded बैंक खाता के पासबुक की स्व अभिप्रमाणित प्रति ।

लाभुक से प्राप्त किये जाने वाले बैंक खाता में यह ध्यान रखा जायेगा कि वह जन-धन खाता या लाभुक के बैंक ऋण से सम्बन्धित खाता नहीं हो,

2. अंचलाधिकारी से भूमि संबंधित जाँच प्रतिवेदन :-

प्रखंड विकास पदाधिकारी सूची के लाभुकों के संबंध में अंचलाधिकारी से निम्न प्रमाण-पत्र की मांग करेंगे :-

- (i) लाभुक को पूर्व में सरकार द्वारा किसी भी योजना के तहत वास भूमि उपलब्ध नहीं करायी गयी है ।
- (ii) लाभार्थी के पंचायत के अंतर्गत कोई वास योग्य सरकारी भूमि वितरण के लिए उपलब्ध नहीं है ।

प्रखंड विकास पदाधिकारी से प्राप्त सूची के लाभुकों के संबंध में अंचलाधिकारी द्वारा अधिकतम 15 दिनों के अंदर उपर्युक्त वर्णित प्रमाण-पत्र उपलब्ध करा दिया जायेगा ।

अंचलाधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि में प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में प्रतिवेदन देने हेतु स्मारित किया जायेगा तथा उसकी प्रति उप विकास आयुक्त को दी जायेगी । इस निर्धारित अवधि में प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उप विकास आयुक्त के माध्यम से जिला पदाधिकारी को अवगत कराया जायेगा ।

3. लाभार्थियों की स्वीकृति :-

- (i) अंचलाधिकारी से प्रमाण-पत्र प्राप्ति के पश्चात प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने स्तर से संतुष्ट हो लेंगे कि विभाग द्वारा निर्धारित सभी मापदंडों व प्रक्रिया का पालन करते हुए योग्य लाभार्थियों को चिन्हित किया गया है । तदनुसार पंजी एवं अभिलेख संधारित करते हुए योजना स्वीकृति 15 दिनों के अंदर प्रदान करेंगे ।
- (ii) स्वीकृति पत्र के आधार पर लेखा सहायक (ग्रामीण आवास)/ प्रखंड लेखापाल अधिकतम दो दिनों के अंदर F.T.O तैयार कर प्रखंड विकास पदाधिकारी के हस्ताक्षर (चेकर की भूमिका) हेतु प्रस्तुत करेंगे ।

4. लाभुक द्वारा वास भूमि का निबंधन कराकर अभिलेख प्रस्तुत करना :-

लाभुक को राशि अंतरण के तीन माह के अंदर जमीन का निबंधन कराकर निबंधन दस्तावेज की प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। प्रखंड विकास पदाधिकारी निबंधित दस्तावेज की तीन प्रतियों में छायाप्रति कराकर एवं सत्यापित कर, एक प्रति अपने अभिलेख में संधारित करेंगे तथा लाभुक को स्वीकृति पत्र निर्गत कर सूची के साथ दूसरी प्रति अंचलाधिकारी एवं तीसरी प्रति अनुमंडल कार्यालय को प्रेषित करेंगे ताकि भविष्य में ऐसे लाभार्थी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की भूमिहीन परिवारों हेतु भूमि बंदोवस्ती योजना का पुनः लाभ प्राप्त न कर सकें । मूल निबंधन दस्तावेज लाभुक को वापस कर देंगे ।

5. अभिलेखों का संधारण:-

- (i) योजना कार्यान्वयन में पारदर्शिता एवं सुचारु रूप से संचालन के निमित्त एक अभिलेख प्रारूप संलग्न किया जा रहा है ।

(ii) स्वीकृत्योदश एवं आवेदन पत्र का प्रारूप विभागीय पत्रांक- 391390 दिनांक- 28.09.2018 से पूर्व में प्रेषित है।

6. वास भूमि क्रय के पश्चात प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत लाभुक को लाभ दिया जाना:-

(i) लाभुक से क्रय की गई वास भूमि के निबंधित विपत्र पत्र प्राप्त के एक सप्ताह के अंदर आवश्यक सत्यापन करते हुए लाभुक को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत योजना लाभ की स्वीकृति प्रतीक्षा सूची के क्रम में प्रदान की जायेगी।

(ii) इस स्वीकृति के एक सप्ताह के अंदर प्रथम किश्त की राशि लाभार्थी के बैंक खाता में अंतरित कर दी जायेगी।

7. 'मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजनान्तर्गत सहायता राशि प्राप्त करने के बाद भूमि क्रय नहीं करने वाले पर कार्रवाई :-

(i) प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा लाभुक को योजनान्तर्गत वास भूमि क्रय हेतु सहायता राशि लाभुक के बैंक खाता में FTO द्वारा अंतरण के पश्चात लाभुक द्वारा भूमि क्रय की प्रगति के संबंध में ग्रामीण आवास सहायक से मासिक प्रतिवेदन प्राप्त किया जायेगा।

(i) लाभुक द्वारा "मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता" योजनान्तर्गत सहायता राशि प्राप्त करने के तीन माह के अंदर वास भूमि क्रय कर निबंधन दस्तावेज की प्रति उपलब्ध नहीं कराने वाले लाभुकों से राशि की वसूली हेतु वैधानिक कार्रवाई तुरंत आरंभ कर दी जायेगी। प्रथमतः लाभुक को राशि की वापसी हेतु नोटिस तामिला कराया जाएगा।

(ii) नोटिस तामिला होने के एक माह बाद भी राशि नहीं लौटाये जाने पर नीलाम पत्र वाद दायर किया जायेगा।

(iii) निलाम पत्रवाद को अधिकतम तीन माह में निष्पादन करना अनिवार्य होगा। इसका अनुश्रवण जिला पदाधिकारी व उप विकास आयुक्त द्वारा स्वयं किया जायेगा।

अनुरोध है कि उपर्युक्त के आलोक में योजना का कार्यान्वयन कराया जाय।

विश्वासभाजन

(अरविन्द कुमार चौधरी)

सरकार के सचिव

जापांक 40603

पटना, दिनांक 11/01/19

प्रतिलिपि- सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, प्रखण्ड-..... जिला-..... का कार्यालय

अभिलेख सं०-

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की प्राथमिकता सूची में सम्मिलित वास स्थल विहिन परिवारों को 'मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना' अंतर्गत सहायता राशि उपलब्ध कराने से संबंधित

अभिलेख

तिथि	विवरण
दि०.....	<p>श्री ग्रामीण आवास सहायक, ग्राम पंचायत- के द्वारा श्री ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की प्राथमिकता सूची में सम्मिलित वास स्थल विहिन परिवारों को 'मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना' अंतर्गत सहायता राशि उपलब्ध कराने हेतु श्री पिता/पति-.....ग्राम-.....टोला-.....ग्राम पंचायत- कोटि-.....प्राथमिकता सूची क्रमांक..... से संबंधित निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध कराये गये हैं-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. भूमि क्रय करने हेतु सहायता राशि के लिए लाभुक का आवेदन 2. लाभुक के पास पूर्व से भूमि का स्वामित्व नहीं रहने संबंधित शपथ पत्र 3. जाति प्रमाण पत्र (अनु० जाति/अनु० जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग) 4. आधार कार्ड की प्रति इस सहमति (concurrency) के साथ कि आधार की सूचनाओं का उपयोग इस योजना के अधीन किया जा सकेगा । 5. आधार Seeded Bank Account की स्वअभिप्रमाणित प्रति <p>उपर्युक्त कागजातों का अवलोकन किया । लाभुक को भूमि उपलब्ध कराने संबंधी निम्न बिन्दुओं पर जांच प्रतिवेदन 15 दिनों के अंदर उपलब्ध कराने हेतु अंचलाधिकारी को पत्र प्रेषित करें ।</p> <p>(i) लाभुक को पूर्व में सरकार द्वारा किसी भी योजना के तहत वास भूमि उपलब्ध नहीं कराया गया है</p> <p>(ii) लाभार्थी के पंचायत के अंतर्गत कोई वास योग्य सरकारी भूमि वितरण के लिए उपलब्ध नहीं है ।</p> <p style="text-align: right;">(नाम एवं हस्ताक्षर) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी</p>

दि०.....	श्री पिता/पति- ग्राम-.....टोला-ग्राम पंचायत- को पूर्व से वास भूमि उपलब्ध नहीं रहने तथा वर्तमान में ग्राम पंचायत के अंतर्गत कोई वास योग्य सरकारी भूमि वितरण हेतु उपलब्ध नहीं रहने से संबंधित जांच प्रतिवेदन अंचल पदाधिकारी, से दिनांक- को प्राप्त है । 2. प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण की प्राथमिकता सूची में सम्मिलित वास स्थल विहिन परिवारों को 'मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना' अंतर्गत सहायता राशि उपलब्ध कराने हेतु विभाग द्वारा निर्धारित सभी मापदंडों एवं प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए श्रीपिता/पति- ग्राम-.....टोला-.....ग्राम पंचायत-..... योग्य पाये गये । 3. अतः लाभार्थी को 60,000 (साठ हजार) रुपये सहायता राशि उपलब्ध कराने हेतु स्वीकृत्यादेश निर्गत करें । 4. लेखापाल स्वीकृत्यादेश निर्गत होने के दो दिनों के अंदर मेकर के रूप में आवास सॉफ्ट पर FTO तैयार करते हुए डिजीटल सिग्नेचर के माध्यम से प्रस्तुत करें । अभिलेख दिनांक-..... को उपस्थापित करें । <p style="text-align: right;">(नाम एवं हस्ताक्षर) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी</p>
दि०	लाभुक को स्वीकृत सहायता राशि बैंक खाता में अंतरित किया जा चुका है । लाभुक द्वारा वास भूमि क्रय करने से संबंधित प्रगति का मासिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु ग्रामीण आवास सहायक को निदेशित करें । अभिलेख दिनांक-..... को उपस्थापित करें । <p style="text-align: right;">(नाम एवं हस्ताक्षर) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी</p>



तिथि	विवरण
दि०.....	<p>श्री पिता/पति - ग्राम-.....टोला- ग्राम पंचायत- कोटि- के प्राथमिकता सूची क्रमांक.....द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की प्राथमिकता सूची में सम्मिलित वास स्थल विहिन परिवारों को 'मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना' अंतर्गत प्राप्त सहायता राशि से वास भूमि क्रय कर निबंधित दस्तावेज की प्रति उपलब्ध कराई गई हैं।</p> <p>2. भविष्य में लाभार्थी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की भूमिहीन परिवारों हेतु भूमि बंदोवस्ती योजना का पुनः लाभ प्राप्त न कर सकें, इस उद्देश्य से लाभुक से प्राप्त निबंधित दस्तावेज की तीन छायाप्रति कराकर एवं सत्यापित कर एक प्रति प्रखंड के अभिलेख में संधारित किया जाय एवं दूसरी प्रति अंचलाधिकारी एवं तीसरी प्रति अनुमंडल कार्यालय को प्रेषित करें ।</p> <p>3. निबंधित मूल दस्तावेज लाभुक को वापस करें ।</p> <p style="text-align: right;">(नाम एवं हस्ताक्षर) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी</p>

